

**कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ**

क्रमांक :- राजस्व/शै.रू./18/

दिनांक : -अप्रैल 2018

**-: संपरिवर्तन आदेश :-**

चन्द्रराम सुथार मैमारियल शिक्षण संस्थान छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ के आवेदन पर उसकी खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 5 सीएचएन ग्राम पंचायत छानीबडी तहसील भादरा द्वारा अभिधृति में धारित निम्न कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन कृषि से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि का संपरिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टिया निम्नानुसार है :-


1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	चन्द्रराम सुथार मैमारियल शिक्षण संस्थान छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
2	क्या आवेदक अनु.जाति/अनु.जन जाति का सदस्य है?	न्ही
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा	कुल प्रस्तावित संपरिवर्तन भूमि- रोही मौजा चक 5 सीएचएन के खाता संख्या 25/19 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 14/2 की 0.037 हैक्टर, किला नम्बर 15/1 की 0.1660 हैक्टर में से 1600 हैक्टर कुल 0. 1970 हैक्टर यानि 1970 वर्गमीटर  राज्य सरकार को समर्पित भूमि - रोही मौजा चक 5 सीएचएन के खाता संख्या 25/19 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 14/2 की 0.037 हैक्टर में से 0.010 हैक्टर यानि 100 वर्गमीटर  संपरिवर्तन भूमि - रोही मौजा चक 5 सीएचएन के खाता संख्या 25/19 के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 14/2 की 0.037 हैक्टर में से 0.027 हैक्टर, किला नम्बर 15/1 की 0.1660 हैक्टर में से 1600 हैक्टर कुल 0.1870 हैक्टर यानि 1870 वर्गमीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5	संदाय संपरिवर्तन प्रभारों की दर	12.138/- प्रति वर्गमीटर
6	चालान की संख्या और तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की रकम	चालान न- 585 दिनांक 23.03.2018 राशि 22698/-
7	चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	न्ही
8	चालान की संख्या और तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई	न्ही





द्वारा जमा करवाया गया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।

3	नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा।
4	लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि के किसी भाग का अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5	राष्ट्रीय सडक कॉग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सडक के मध्य से दूरी छोडकर निर्माण किया जावे। भविष्य में सडक की चौडाई बढाये जाने के दौरान यदि सडक सीमा में कोई निर्माण पाया जाता है तो उसे आवेदक को अपने खर्चे पर हटाना होगा तथा आवेदक द्वारा मुआवजा हेतु कोई क्लेम नहीं किया जायेगा।
6	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश संपरिवर्तन भूमि के अकृषिक प्रयोजनार्थ है। उद्योग स्थापना व संचालन संबंधी सभी शर्तों, नियमों, विनियमों, कानूनों, आदेशों की पालना प्रार्थी द्वारा नियमानुसार की जाएगी।
7	संपरिवर्तन आदेश को भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(1)बी के तहत पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
8	भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के नियम 79 व 80 की शर्तों के अनुसार निर्माण किया जावेगा।
9	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।
10	उपर्युक्त सभी शर्तों की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए आवेदक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा




क्रमांक :- सम/18/925

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ व पालनार्थ:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त संपरिवर्तन आदेश का भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(1)बी के तहत पंजीयन कराने के पश्चात नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कर नामान्तरकरण की प्रति इस कार्यालय को भिजवाई जानी सुनिश्चित करें।
3. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन विभाग भादरा को प्रेषित कर लेख है कि नियमानुसार पानी की बारी कटवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत छानीबडी तहसील भादरा।
- ✓ 5. चन्द्रराम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान छानीबडी तहसील भादरा।

— ह० —  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़  
दिनांक: ~~अप्रैल 2018~~  
11/06/2018

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़



## कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

क्रमांक :- एफ.12(3)(41)राज / 10 /

दिनांक :- 27 जुलाई, 2011

## -:: संपरिवर्तन आदेश ::-

आवेदक चन्द्रराम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान छानीबड़ी जिला हनुमानगढ़ जरिये सचिव श्रीमति निर्मल सुथार पत्नि दिवानसिंह के आवेदन पर उसकी खातेदारी भूमि चक 5 सी.एच.एन. ग्राम पंचायत छानीबड़ी तहसील भादरा में धारित निम्न कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन हेतु शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन बाबत निवेदन किये जाने पर उपखण्डाधिकारी भादरा, तहसीलदार भादरा एवम् सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नोहर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदित भूमि का संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियाँ निम्नानुसार हैं :-

- |  |  |
|--|--|
| 1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता का नाम सहित पूर्ण पता :-                                     | चन्द्रराम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान छानीबड़ी जिला हनुमानगढ़ जरिये सचिव श्रीमति निर्मल सुथार पत्नि दिवानसिंह  |
| 2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है :-                                     | नहीं   |
| 3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :-   |  |
| (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम :-   | 5 सी.एच.एन. ग्राम पंचायत छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।  |
| (ख) भूमि का खसरा और प्रत्येक खसरा का क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्गमीटर में) :-                            | चक 5 सी.एच.एन. ग्राम पंचायत छानीबड़ी तहसील भादरा के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 09/.253, 12/1/.050, 14/1/.037, 15/.166, कुल 0.506 हैक्टर (5060 वर्गमीटर) |
| (ग) प्रत्येक खसरा के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर/वर्गमीटर में) :- | चक 5 सी.एच.एन. ग्राम पंचायत छानीबड़ी तहसील भादरा के मुरब्बा नम्बर 8 के किला नम्बर 09/.253, 12/1/.050, कुल 0.303 हैक्टर (3030 वर्गमीटर)                     |

ध्यान :- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है :-

संपरिवर्तन का प्रयोजन :-

संदेय प्रीमियम की दर :-

## शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ

प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी. एल. सी. दर 5,62,925/- रुपये प्रति हैक्टर है, जो संदेय प्रीमियम 5/- रुपये प्रति वर्गमीटर से अधिक होने के कारण वर्तमान डी. एल. सी. का 10 प्रतिशत 5.63/- प्रति वर्गमीटर

6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :-	चालान संख्या	दिनांक	रूपये
	312	27.07.2011	8,529/-
	313	27.07.2011	8,529/-
	कुल		17,058/-
7. चालान की संख्या तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो तो जमा कराई गई	चालान संख्या	दिनांक	रूपये





9. क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :- नहीं
10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो :- - -
11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
- उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
  - यदि आवेदक इस आदेश को जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।
  - नियम - 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
  - लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
  - इंडियन रोड काग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष के हित में छोड़ते हुए निर्धारित सीमा के पश्चात ही निर्माण किया जावेगा।
  - यदि उक्त संस्थान तकनीकी संस्थान है तो समस्त पैरामिटर शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियमों एवम् उप नियमों के मानदण्डों के अनुसार अथवा शिक्षा विभाग के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जावेगा।
  - राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों की पालना हेतु आवेदक बाध्य होगा।
  - उपर्युक्त सभी शर्तों की पालना प्रार्थी द्वारा की जावेगी। किसी भी शर्त के उलंघन की दशा में नियमानुसार शास्ति आरोपित की जा सकेगी। जिसके लिये आवेदक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगा।



Seal of the Prabhavati Authority

- ह -  
जिला कलक्टर,  
हनुमानगढ़

क्रमांक :- एफ.12(3)(42)राज/10/5615-21

दिनांक :- 29 - जुलाई, 2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- श्रीमान् मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग (उत्तर) हनुमानगढ़ को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेश में वर्णित संपरिवर्तित रकबा की पानी की बारी कटवाये जानें हेतु सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता को अपने स्तर से निर्देशित करने का श्रम करें।
- उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा को उनके पत्रांक राजस्व/शिक्षण संस्थान/11/845 दिनांक 18.07.2011 के सन्दर्भ में।
- तहसीलदार (राजस्व) भादरा को उनके पत्र क्रमांक राजस्व/700 दिनांक 27.07.2010 तथा टी. आर.ए./11/354 दिनांक 28.07.2011 के सन्दर्भ में भेज कर लेख है कि उक्त संपरिवर्तित भूमि का राजस्व अभिलेख में अंकन करना सुनिश्चित करें।
- अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नोहर को उनके पत्रांक 4459 दिनांक 18.08.2010 के सन्दर्भ में।
- सचिव ग्राम पंचायत छानीबड़ी पंचायत समिति भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
- चन्द्रराम सुथार मैमोरियल शिक्षण संस्थान छानीबड़ी जिला हनुमानगढ़ जरिये सचिव श्रीमति निर्मल सुथार पत्नि दिवानसिंह।